Social Justice Union Govt. Registered

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 08 मई 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 220

महत्वपूर्ण एवं खास

गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की पानी टंकी में मिली महिला की लाश मामले में पति और सास फरार

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में बने कर्मचारियों के क्वार्टर की छत पर सीमेंट से बनी पानी की टंकी में एक महिला का शव मिला। महिला का शव मिलने के बाद से पति और सास फरार है। मृतक महिला का पति गौतमबुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में ही चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और उसे हॉस्टल में ही एक कमरा बतौर क्वार्टर रहने के लिए दिया गया था। पुलिस ने उनकी तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया है। शुरुआती जांच में ये मामला पति पत्नी के बीच विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल, महिला के पति पर हत्या करने और शव को छुपाने की आशंका जताई जा रही है। उसके फरार होने के बाद शक और गहरा हो रहा है। पुलिस ने बताया कि पीआरवी कंट्रोल से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के हॉस्टल की छत पर बने सीमेंटेड पानी के टैंक में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर ईकोटेक-1 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पड़ोसियों ने बताया कि रात में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वे अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। महिला का पति मौके से फरार है। मृतक महिला के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है और सभी एंगल से जांच की जा रही है।

दिल्ली शराब नीति मामला : मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान श्वष्ठ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिसके बाद अदालत ने ईडी को 15 मई तक का समय दिया है।

बंगाल में भिड़े बीजेपी प्रत्याशी व टीएमसी समर्थक, बिहार में पीठासीन अधिकारी सहित दो लोगों की मौत

सुपौल (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के दौरान वोटिंग जारी है। इस दौरान बंगाल में जंगीपुर के एक मतदान केंद्र पर टीएमसी बूथ अध्यक्ष की बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष से झड़प हो गई। वहीं, बिहार के सुपौल में मतदान ड्यूटी पर तैनात पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि निर्मली विधानसभा के सरायरंजन के मतदान केंद्र संख्या 163 पर मतदान शुरू होने के बाद पीठासीन अधिकारी शैलेंद्र कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक पीआरएलएन हाई स्कूल (रतनपुर) में बतौर शिक्षक पदस्थापित थे। सुपौल डीएम के निर्देश पर शैलेंद्र कुमार के स्थान पर दूसरे पीठासीन अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। वहीं, अररिया के पलासी प्रखंड के उत्क्रमित म. वि. पेचैली बूथ पर मंगलवार को मौके पर तैनात होमगार्ड जवान महेंद्र साह की मौत होने की सूचना है। माना जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। हालांकि, अभी हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। महेंद्र साह सीतामढ़ी के रहने वाले थे।

बाबा केदार की पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से दूसरे पड़ाव फाटा के लिए रवाना

देहरादून (आरएनएस)। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली ने मंगलवार 7 मई को प्रात: 8.45 बजे श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास हेतु दूसरे पड़ाव फाटा को प्रस्थान किया। उल्लेखनीय है कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे है। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने जानकारी दी कि भगवान केदारनाथ की चलविग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देवडोली को श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक एवं हक-हकूकधारी पांवों में बिना कुछ पहने पैदल चलकर शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं।

झारखंड कैश कांड : ईडी की रेड के बाद मंत्री सचिव और नौकर गिरफ्तार, अब तक 35 करोड़ बरामद

रांची | आरएनएस

ईडी ने सोमवार को झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के एक सचिव के नौकर और कुछ अन्य स्थानों पर रेड मारी, जहां से 35.23 करोड़ रुपए का कैश, फ्लैट और ज्वैलरी बरामद की गई। इसमें 32 करोड़ रुपए सिर्फ कैश बरामद किया गया। एक अन्य ठिकाने से करीब 3 करोड़ रुपए और मिले हैं। कैश इतनी मात्रा में था कि अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रवर्तन निदेशालय के 7-8 अधिकारी इन नोटों को गिनने में जुटे रहे। सुबह से ये गिनती देर रात तक चली। नोट गिनने के लिए 6 मशीनें लगाई गई थी। इसके बाद ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को देर रात गिरफ्तार कर लिया।

झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के घर सोमवार को सुबह अचानक से ईडी की टीम ने रेड की, तो हर कमरे में भ्रष्टाचार वाली गड्डियां मिलीं थी। बैंक के अधिकारियों ने सोमवार सुबह 9 बजे वोटों की गिनती शुरू की थी और ये रात बजे तक जारी रही। करीब 13 घंटे तक नोट गिने गए। वहीं, ईडी के अधिकारियों ने सोमवार सुबह करीब 6 बजे रेड मारी और मंगलवार सुबह तक छापेमारी जारी रही। 20 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी जारी रही। ये खबर जब प्रधानमंत्री मोदी को लगी तो उन्होंने एक चुनावी रैली से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं।

असल में झारखंड में आलमगीर आलम कांग्रेस नेता हैं। वो गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। बीजेपी का आरोप है कि उनके सचिव के नौकर के घर से मिले नोटों के इन बंडल का कनेक्शन मंत्री जी से ही है। नोटों की बरामदगी के बाद मंत्री आलमगीर आलम की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने पहली फुर्सत में ही अपने निजी सचिव से पल्ला झाड़ लिया। नोटों के अलावा नौकर के घर से ट्रांसफर-पोस्टिंग के कागजात भी बरामद हुए हैं।

श्वष्ठ की टीम 4 बैग लेकर सचिव के नौकर के घर निकली। ईडी की टीम पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज भी लेकर गई। आलमगीर आलम चार बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से साल 2000, 2004, 2014, और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच झारखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 में जब राज्य में गठबंधन सरकार बनी, तो उन्हें कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया। 2019 में जब उन्होंने चुनाव में हलफनामा दाखिल किया था तब 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दिखाई थी।

आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सहायक की सैलरी महज 15 हजार रुपए महीना है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि उसके घर से सिर्फ नोट ही मिले हैं, तो ऐसा नहीं है। यहां नोटों की गड्डियों के अलावा, ट्रांसफर-पोस्टिंग के दस्तावेज भी मिले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े राज्य के कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहां होना है, उनकी जगह पर किसे लाया जाना है इसकी पूरी जानकारी बाकायदा दस्तखत और तारीख के साथ मय सबूतों के ईडी के अधिकारियों को इसी घर में मिली। एक दस्तावेज पर लिखा था कि हटाना जरूरी है। उसमें ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के ट्रांसफर से जुड़े पते दर्ज हैं. विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी बरामद हुआ है।

झारखंड में ईडी ने मंत्री के निजी सचिव के सहायक के घर पर ही छापेमारी नहीं की, बल्कि संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर भी रेड की। यहां से काफी कैश बरामद हुआ। सडक़ निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर पर भी छापेमारी की। कुल मिलाकर झारखंड की 6 अलग-अलग लोकेशन पर कार्रवाई हुई।

रांची में दूसरे दिन ईडी की सात नए ठिकानों पर छापेमारी, फिर भारी मात्रा में कैश बरामद- ईडी ने रांची में मंगलवार को सात ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान डोरंडा इलाके में रहने वाले राजू सिंह नामक कांट्रैक्टर के आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। ईडी ने कैश की गिनती के लिए बैंक अधिकारियों को मशीन के साथ बुलाया है।

सूचना के मुताबिक सोमवार को झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले लीड के आधार पर मंगलवार को श्यामली गली डोरंडा, सिंहमोड़, आईटीआई बस स्टैंड और रातू में नए ठिकानों पर रेड डाली जा रही है।

सोमवार की छापेमारी में मंत्री के पीएस संजीव कुमार लाल, उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम और बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकानों से कुल 35 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि बरामद की गई थी। संजीव कुमार लाल और जहांगीर आलम को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी उन्हें आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की दरख्वास्त करेगी।

खड़गे के दामाद सहित 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत, 800 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का आरोप

बेंगलुरू (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के दामाद एवं कुलबर्गी से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राधाकृष्ण डोड्डामणि सहित पांच लोगों के खिलाफ 800 करोड रुपये के कथित घोटाले में शामिल होने की शिकायत सोमवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और कर्नाटक लोकायुक्त के पास दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बेंगलुरु दक्षिण जिला अध्यक्ष एनआर रमेश द्वारा दायर की गई शिकायत में विशेष रूप से डॉ. बीआर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और डॉ. बीआर अंबेडकर डेंटल कॉलेज में प्रबंधन समिति के प्रमुख के रूप में कार्यरत श्री डोड्डामणि पर कथित घोटाले में केंद्रीय व्यक्ति होने का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से लेकर जालसाजी और सत्ता का दुरुपयोग शामिल है।

शिकायत में श्री डोड्डामणि के साथ एचएस महादेव प्रसाद, डॉ. एनटी मुरली मोहन, वीएस कुबेर और जनसंपर्क अधिकारी अमानुल्ला खान के नाम है। रमेश का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अयोग्य छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला देकर धन लेने की योजना बनाई थी। उनका दावा है कि कॉलेज प्रशासन के सदस्यों और कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा कई शिकायतें दर्ज किए जाने के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोपियों ने फर्जी तरीकों से प्रवेश का वादा करके प्रत्येक छात्र से एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये तक की रकम एकत्र की। रमेश ने आगे आरोप लगाया कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में असफल हुए छात्रों को प्रवेश की सुविधा देने के लिए झारखंड और अन्य राज्यों के कॉलेजों से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र खरीदे गए थे। उन्होंने कहा कि विशेष चिंता का विषय कलबुर्गी में आगामी चुनाव के लिए डोड्डामणि की उम्मीदवारी है, जिससे राजनीतिक मिलीभगत और भाई-भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं।

पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, ऑनलाइन विज्ञापन हटाने के दिए आदेश, बिक्री पर लगाई रोक

नई दिल्ली | आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की ओर से अपनी दवाओं को लेकर जारी भ्रामक विज्ञापनों के मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि किसी उत्पाद को लेकर किए गए दावे गलत पाए जाते हैं तो उनका प्रचार करने वाली सिलेब्रिटीज और सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर्स भी जिम्मेदार हैं। पतंजलि आयुर्वेद के मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने आईएमए की भी खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि पतंजलि के जिन उत्पादों के संबंध में लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, वे बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं रहने चाहिए। अगर लाइसेंस निलंबित है, तो उत्पाद नहीं बेचा जाना चाहिए, हमें नोटिस

देना होगा।

अदालत ने कहा कि विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले चैनलों को भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहिए। इसमें यह घोषणा करनी चाहिए कि हम सभी नियमों का पालन करते हैं। मंगलवार को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग ऐड का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि इस नियम की गाइडलाइन 13 में कहा गया है कि किसी विज्ञापन का प्रचार करने वाली हस्ती को संबंधित सेवा एवं उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि वह जिस चीज का प्रचार कर रहा है, वह किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है।

बेंच ने कहा, 'नियम कहते हैं कि उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि वह जिन चीजों को बाजार से खरीद रहा है, उसकी क्या खासियतें हैं। खासतौर पर हेल्थ और फूड प्रोडक्ट्स के मामले में यह जरूरी है।' इसके साथ ही बेंच ने कहा कि यदि कोई विज्ञापन भ्रामक निकलता है तो उसे जारी करने वाली कंपनियों के साथ ही प्रचार करने वाली हस्तियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। यही नहीं बेंच ने कहा कि मंत्रालयों को इस संबंध में कुछ नियम बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि विज्ञापन गलत पाए जाने पर ग्राहक शिकायत कर सके और उसका कोई नतीजा निकल सके।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा नियम बनने से पहले चैनलों एवं अन्य प्रसारकों को लेकर एक नियम बनना चाहिए। प्रसारकों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहिए कि वह जो विज्ञापन चला रहे हैं, उसकी उन्होंने जांच कर ली है और भ्रामक नहीं है। यही नहीं बेंच ने कहा कि हम किसी तरह की लालफीताशाही नहीं चाहते। लेकिन हमारी यह भी मंशा नहीं है कि कुछ भी ऐड चलने दिया जाए। पर यह तय करना भी जरूरी है कि किसी की तो जिम्मेदारी तय हो। अब इस मामले में आईएमए को भी अदालत ने नोटिस जारी किया। आईएमए को अगली सुनवाई यानी 14 मई तक जवाब देने का वक्त दिया गया है।

दिल्ली में पांच करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त, 5 गिरफ्तार

नई दिल्ली | आरएनएस

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की कीमत की हेरोइन जब्त की है। इस सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त हेरोइन की कीमत पांच करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महीनों तक चले ऑपरेशन के बाद आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बरेली और झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 2.269 किलोग्राम हेरोइन और 1.053 किलोग्राम क्रूड (हेरोइन) बरामद की गई। आरोपियों की पहचान मोहम्मद आतिफ, अशरफ, आरिफ अली, अली उर्फ रुखसार उर्फ राजू और मोहम्मद मुख्तार अंसारी के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि हाल ही में विशेष जानकारी मिली थी कि

एक ड्रग तस्कर आतिफ अपने एक रिसीवर को भारी मात्रा में ड्रग देने के लिए छत्ता रेल चौक फ्लाईओवर इलाके के पास आएगा। पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमित गोयल ने कहा, जाल बिछाया गया और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान एक बैग के अंदर से एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि बरामद हेरोइन उसे बरेली के अशरफ ने दी थी। इसे अनाज मंडी (नरेला) में उसके रिसीवर तक पहुंचाना था। डीसीपी ने कहा, बरेली में अशरफ के ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन वह वहां से फरार मिला। बाद में उसे 5 फरवरी को बरेली के ध्रुव अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। अशरफ की निशानदेही पर उसके बरेली स्थित घर के लॉकर के अंदर से 490 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ करने पर अशरफ ने खुलासा किया कि तस्करी का सामान बरेली के राजू और आरिफ से लिया गया था। उसे जहांगीरपुरी के इस्लाम और बवाना स्थित जेजे कॉलोनी निवासी अरमान को सौंपना था।

23 मार्च को जांच के दौरान आरिफ अली को बरेली में उसके किराए के घर से गिरफ्तार किया गया। उसके घर से 202 ग्राम हेरोइन और 201 ग्राम मिश्रित ठोस पदार्थ बरामद किया गया था। उन्होंने प्रतिबंधित हेरोइन के एक अन्य स्रोत का नाम रुखसार उर्फ राजू बताया। पुलिस ने राजू को 12 अप्रैल को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उसके घर से 200 ग्राम हेरोइन के अलावा कच्चे माल से हेरोइन तैयार करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने झारखंड से कच्चे माल के एक और स्रोत के नाम का खुलासा किया, जो आमतौर पर अपना नाम बदलता था। डीसीपी ने कहा, अंसारी को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके घर से कुल 1,035 ग्राम क्रूड, 359 ग्राम हेरोइन, 1914 ग्राम कट/केमिकल, पांच किलो सोडा और एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन बरामद की गई।

बिहार में जवान की पत्नी को जान का खतरा, लगाई सुरक्षा की फरियाद

रोहतास (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में तैनात जवान रोहित कुमार सिंह की पत्नी अपने दो नन्हें बच्चों के साथ दर-दर भटक रही है। कभी शासन तो कभी प्रशासन के दर पर जाकर मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। अपनी फरियाद ना सुनने पर जवान की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां किया।

जवान की पत्नी ने बताया कि वह पुश्तैनी मकान गीता घाट कॉलोनी सासाराम में अपने दो नन्हें बच्चों के साथ रहती है और उसके रिश्तेदार घर के पास खाली पड़ी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं, जिसका वह विरोध कर रही हैं। इसके अलावा उसे जान से मारने की भी धमकी भी दे रहे हैं।

इसके बाद जवान की पत्नी पूरे मामले को लेकर कई बड़े शीर्ष अधिकारियों के दफ्तरों का दरवाजा खटखटा कर अपनी सुरक्षा की मांग कर चुकी है, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद पर कान लगाना गवारा नहीं समझा। जवान की पत्नी अब तक इस पूरे मामले को लेकर सीओ, एसडीएम, एसडीपीओ के दफ्तर में अपनी शिकायत के साथ जा चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी शिकायत नहीं सुनी। बीते दिनों जवान की पत्नी डीएम नवीन कुमार के कार्यालय भी पहुंची, लेकिन वहां भी उसे महज आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जवान की पत्नी यह कहकर अब थक चुकी हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके बच्चों की जान को खतरा है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अफसोस अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है।

कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर समेत तीन आतंकी ढेर

श्रीनगर | आरएनएस

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मंगलवार तडक़े मुठभेड़ शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार समेत तीन आतंकवादियों को मार गिराया है।

मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। आतंकियों के शव बरामद कर उनकी पहचान की जाएगी। सुबह ही खबर आई थी कि लश्कर कमांडर बासित अहमद डार में कुलगाम की इस मुठभेड में घिर गया है।

पुलिस ने बताया कि कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्हें ठिकाने से बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। इस दौरान जब आतंकियों ने खुद को सुरक्षाबलों से घिरा देखा तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कुलगाम में मुठभेड़ पुंछ आतंकी हमले के बाद हुई है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था और चार अन्य घायल हो गए थे। कुलगाम में मुठभेड़ ऐसे समय हुई है जब राजनीतिक दल अनंतनाग-राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। कुलगाम इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर के टॉप कमांडर बासित अहमद डार को घेरा; एनकाउंटर जारी

श्रीनगर | आरएनएस

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है। सोमवार सुबह दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के रेडवानी पाईन इलाके में तलाशी अभियान के साथ सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है जो अब भी जारी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जानकारी के मुताबिक शीर्ष लश्कर कमांडर बासित अहमद डार कुलगाम की इस मुठभेड में घिर गया है।

पिछले साल ही एनआईए ने लश्कर के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के कमांडर बासित अहमद डार पर 10 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की थी। इनामी राशि की घोषणा दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाईन के बासित अहमद डार के खिलाफ दर्ज मामले 32/2021/एनआईए/डीएलआई में की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, बासित कई हत्याओं का मास्टरमाइंड था। रेडवानी के कुलगाम का निवासी बासित, जो पिछले साल अप्रैल 2022 से अपने घर से लापता था, लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) में शामिल हो गया था।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में गत 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायु सेना (द्ब्रस्न) के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया था। सुरक्षा अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हमले में द्ब्रस्न का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 4 अन्य घायल हो गए।